तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
21/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण व विपक्षी सं 14 के वकील उपस्थित। वकील विपक्षी सं. 14 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मगाराम धोरू व राणासर स्कूल की सीमा पर स्थित है तथा दोनों खातों की सीमा पर कोई विवाद की स्थिति है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मगाराम धोरू व राणासर स्कूल की सरहदी की एक साथ निशान कार्यवाही की जावे जिस पर वकील प्रार्थीगण ने सहमति जाहिर की। आदेश अलग से लिखा जाकर [illegible] गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की मूल पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 30/2023

प्रार्थीगण :-

1. फूसाराम पुत्र रूखमणाराम
2. गंगाराम पुत्र रूखमणाराम
3. चूनाराम पुत्र रूखमणाराम
4. राऊराम पुत्र दानाराम
   जाति जाट निवासी छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसाराम पुत्र भैराराम
2. निम्बाराम पुत्र भैराराम
3. पुखराज पुत्र भैराराम
4. दोलीदेवी पत्नी भैराराम
5. सोनाराम पुत्र देरामाराम
6. खुमाराम पुत्र भैराराम
7. मंगलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट
8. खंगाराराम पुत्र वीरमाराम जाति नाई
9. रतनाराम पुत्र धर्माराम
10. प्रतापाराम पुत्र धर्माराम
11. आईदानराम पुत्र धर्माराम
12. गंगाराम पुत्र धर्माराम
13. भागीरथ पुत्र धर्माराम
    जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
14. चंदाराम पुत्रसुरताराम
15. किसनाराम पुत्र हडमानराम
16. देवाराम पुत्र हडमानराम
    जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
17. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री भाखराराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री रोशनलाल चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 14**

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 21.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल चौधरी हुए तथा प्रार्थीगण के वाद पत्र का लिखित जबाव प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भाखराराम विश्नोई एवं विप्रार्थी संख्या 14 के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल चौधरी की बहस

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

... किया कि प्रतिवादी संख्या 14 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 95 राणासर खुर्द में आया हुआ है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम छोटू में अवस्थित है। दोनों गावों की सीमा पर ऑवरलिपिंग है इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखम कार्यवाही एक साथ सम्पादित की जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा छोटू पटवार क्षेत्र छोटू के खेत खसरा नम्बर 1115/350, 1114/327 रकबा क्रमशः 0.1619, 7.7214 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि ग्राम छोटू के खेत खसरा नम्बर 1115/350, 1114/327 रकबा क्रमशः 0.1619, 7.7214 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि विप्रार्थी संख्या 14 की खातेदारी खसरा नम्बर 95 सरहद मौजा राणासर की सीमा पर अवस्थित है तथा दोनों पक्षों की बहस अनुसार दोनों गावों की सीमा पर ऑवरलिपिंग की स्थिति है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नौखडा को निर्देश हैं कि उक्त उनवान प्रकरण की आराजी एवं विप्रार्थी संख्या 14 के नेखमबन्दी प्रकरण संख्या 55/23 उनवान चंदाराम बनाम किशनाराम की आराजी ग्राम राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 95, 95/4 रकबा क्रमशः 5.1071, 1.6187 हैक्टेयर की नेखम

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

कार्यवाही दोनों पक्षों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की सीमा तय कर मुश्तमिल बिन्दु कायम करते हुए सम्पादित की जावे। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी